द्वारा ई–मेल/द्वारा फैक्स/अतिमहत्वपूर्ण/समयवद्ध

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–।

संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता)–2014 दिनॉकःदिसम्बर 13,2014

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश। (पीएसी को छोड़कर)
2–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश (पीएसी को छोड़कर)
4–सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

———

विषयः उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं पदोन्नति की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

———

कृपया उपरोक्त सन्दर्भ में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता)2014 दिनॉकः 11–11–2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षण बैच– 1997–98 तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची परिचालित करते हुये सम्बन्धित उपनिरीक्षकों से दिनॉकः19–11–2014 तक प्रत्यावेदन/आपत्तियॉ मॉगी गयी थी। साथ ही सम्बन्धित उपनिरीक्षको को सूचित करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/आपत्तियों को उपलब्ध कराने एवं डाटा में त्रुटि होने तथा किसी उपनिरीक्षक का नाम छूटे होने की दशा में दिनॉकः20–11–2014 तक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपदों/इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं का समावेश एवं जिन उपनिरीक्षकों द्वारा आपत्तियॉ/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे, उनका निराकरण/निस्तारण कर दिया गया है। तद्पश्चात उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जा रही है, जो निम्नलिखित रीति से तैयार की गयी हैः–

1–जिस पीटीसी प्रशिक्षण बैच में सीधी भर्ती एवं विभागीय रैंकर परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी एक साथ एक बैच में प्रशिक्षण पाये हैं, उनकी वरिष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के नियम–8(3) एवं पीटीसी मैनुअल के प्रस्तर–41(5) के अनुसार पीटीसी में अर्जित अंकों के प्रतिशत के आधार पर रखा गया है।

2–प्रशिक्षण बैच में पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों को उसी बैच में सबसे नीचे रखा गया है। भले ही उनके अंकों का प्रतिशत अधिक हो।

3–किसी भी सीधी भर्ती बैच के प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उस बैच की नियमित चयनित अभ्यर्थियों के साथ पीटीसी के अंक के प्रतिशत के आधार पर तैयार की गयी है। (उ0नि0ना0पु0 सीधी भर्ती परीक्षा–1991 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी, जिन्होने प्रशिक्षण सत्र–2000–01 के कैडेटों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, उन्हें उ0नि0ना0पु0 सीधी भर्ती परीक्षा–1991 के नियमित अभ्यर्थियो (प्रशिक्षण सत्र–1997–98) के साथ प्रशिक्षण सत्र–2000–01 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रशिक्षण सत्र–1997–98 की सूची में सम्मिलित किया गया है)

4–एक ही बैच के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाये अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के पूर्णांक समान न होने पर उनके पूर्णांक एवं प्राप्तांक का प्रतिशत निकालकर पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है।

5–एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता का आधार बनाया गया है।

6–उ0प्र0 उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवानियमावली–2008 यथासंशोधित–2013 के नियम–5(3) के अनुसार उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद से निरीक्षक ना0पु0 के निःसंवर्गीय पद

पर आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्राप्त निरीक्षकों को सूची में सम्मिलित किया गया है तथा मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद से उपनिरीक्षक ना0पु0 के निःसंवर्गीय पद पर आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्राप्त उपनिरीक्षकों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

7–वैकल्पिक (OPTIONAL) विषयों के अंकों को ज्येष्ठता निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

3– उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in/frmCircular.aspx?slugName=phq&Subname=EstMCivPolice** पर प्रदर्शित की गयी है। **अन्तिम वरिष्ठता सूची सर्वसम्बन्धित को E-Mail से भेजी जा रही है। अन्तिम वरिष्ठता सूची में कुल–1941 उपनिरीक्षक ना0पु0 के नाम अंकित हैं।** कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रशिक्षण बैच 1997–98 तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त **अन्तिम वरिष्ठता सूची को अग्रेतर कार्यवाही हेतु डाउन लोड कर** लिया जाय।

4– अवगत कराना है कि निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती/चयन के वर्ष–2013 के 359 रिक्त पदों के सापेक्ष "उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (छठवॉ संशोधन) नियमावली–2013" के नियम–5(2) के अनुसार "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार" पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति की कार्यवाही की जानी है। **भर्ती/चयन के वर्ष–2013 की रिक्तियों के दृष्टिगत अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार प्रशिक्षण बैच–1995–96 तक के उपनिरीक्षकों के सेवा अभिलेख/बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।**

5– अतः अनुरोध है कि कृपया अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार **प्रशिक्षण बैच–1995–96 तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के सेवा अभिलेख प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर अद्यावधिक कराकर निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही की जायः–**

(1)– भर्ती/चयन वर्ष–2013 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित प्रशिक्षण बैच–1995–96 तक के उपनिरीक्षकों का विवरण **बोर्ड प्रपत्र–1 में वर्ष–2003 से 2012 तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट–आफ–डेट 01–07–2013 होगी।** बोर्ड प्रपत्र–1 को भरने हेतु दिशा–निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक "प्रोन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियॉ" पर लिंक करने पर "प्रोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के प्रारूप" के अन्तर्गत उपलब्ध हैं और वहॉ से डाउन लोड किये जा सकते हैं। **(बोर्ड प्रपत्र–1 एवं भरने हेतु दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है।)**

(2)– उपनिरीक्षकों की चरित्रपंजिकायें एंव बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें सम्बन्धित जनपद/इकाईयों द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/सम्बन्धित इकाई के पुलिस उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराये जायेगें।

(3)– कतिपय उपनिरीक्षकों के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार प्रशिक्षण बैच–1995–96 तक के उपनिरीक्षकों से स्वघोषित घोषणा–पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा–पत्र में अंकित करा लिया जाय। **(स्वघोषणा–पत्र का प्रारूप संलग्न है।)**

(4)– यदि स्वघोषणा–पत्र में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र–1 के निर्धारित कालम में किया जाय। साथ ही **सभी उपनिरीक्षकों के स्वघोषित घोषणा–पत्र भी बोर्ड प्रपत्र–1 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराये जाय।**

(5)– सम्बन्धित उपनिरीक्षकों की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें व स्वघोषित घोषणा–पत्र 03–03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी0डी0 लेकर सम्बन्धित सहायक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग–5 में निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार उपस्थिति होकर चरित्रपंजिकाओं/सूचनाओं का मिलान कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे:–

क0सं0	जोन /इकाई का नाम	दिनॉक
1	गोरखपुर जोन एवं वाराणसी जोन के सभी जनपद	23.12.2014
2	लखनऊ जोन एवं बरेली जोन के सभी जनपद	24.12.2014
3	मेरठ जोन एवं आगरा जोन के सभी जनपद	25.12.2014
4	कानपुर जोन एवं इलाहाबाद जोन के सभी जनपद	26.12.2014
5	अभिसूचना विभाग/सुरक्षा शाखा एवं जीआरपी के सभी अनुभाग	27.12.2014
6	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी शेष इकाईयॉ	28.12.2014

6– अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समयसीमा के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

13/12/14

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि:समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने परिक्षेत्र के जनपदों से उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण बैच–1995–96 के उपनिरीक्षकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें प्राप्त कर परीक्षण/हस्ताक्षरोपरान्त जनपद के सम्बन्धित सहायक के माध्यम से निर्धारित समय सारणी के अनुसार पुलिस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रषित है कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस उपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
2– निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
3– आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
4– पुलिस अधीक्षक,पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
5– पुलिस अधीक्षक,सीबीआई लखनऊ।
6– पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।

7— संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, इलाहाबाद।
8— सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद।
9— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
10— संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
11— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–6, गौतमबुद्धनगर।

———

स्वघोषणा–पत्र

मैं, शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————पुत्र ——————————निवासी————————————थाना————————जनपद——————————— वर्तमान में (जनपद/इकाई)———————————— नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र——————————का उपनिरीक्षक हूँ। मैं, प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:—————— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————— धारा————————थाना ——————— जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:——————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी————————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
नाम–
पीएनओ–
पदनाम–
नियुक्ति स्थान–
दिनॉक:

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

बोर्ड प्रपत्र-1 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

महत्वपूर्ण :- **"बोर्ड प्रपत्र-1" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।**

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र0सं0 अंकित की जायेगी। क्र0सं0 आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में अभ्यर्थी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम में अभ्यर्थी का पी0एन0ओ0 अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में अभ्यर्थी की उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित की जायेगी। **मौलिक नियुक्ति की तिथि-** का आशय अभ्यर्थी के उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी अथवा यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी नियुक्ति की तिथि से है।
12	**सेवा अवधि-** का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी।
13	
14	
15	इन कालमों में क्रमश: भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षो के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एवं वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी। उदाहरणार्थ : यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2001 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2001- 01-01-2001 से 30-04-2001 अति उत्तम 01-05-2001 से 31-12-2001 अच्छा
16	
17	
18	
19	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय।
21	इस कालम में अभ्यर्थी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत

22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित, अप्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
25	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित या रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
28	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
29	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
30	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
31	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
32	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
33	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
34	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
35	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्थदण्ड, पदावनति आदि।
36	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
38	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-39/2012 दिनांक 30-10-2013
39	इसमें निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
40	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
41	इसमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
42	इसमें यदि न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-2013 नियत है।
43	इसमें जॉच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
44	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।

45	इसमें अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
46	इसमें अभ्यर्थी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 30-10-2013 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
47	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 10-11-2013

सामान्य निर्देश :-

1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।

2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फान्ट में ही तैयार की जाय।

3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।

4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।

5- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बोर्ड प्रपत्र-1

निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिये पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी का सेवा विवरण

भर्ती/रिक्ति का वर्ष-2005

क्र0 सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	कैडर	वर्तमान तैनाती: जनपद/इकाई	वर्तमान तैनाती: परिक्षेत्र/अनुभाग	भर्ती की तिथि	उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	सेवा अवधि (परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुये) (चयन वर्ष 2005 के लिये): वर्ष	माह	दिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	123	802110772	समरपेाल कुशवाहा	भवानी प्रसाद	04-11-1958	उप निरीक्षक नागरिक पुलिस	लखनऊ	लखनऊ	20-09-1982	16-01-1984	21	5	15
2													
3													

क्र0 सं0	वार्षिक गोपनीय मंतव्य (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये): वर्ष	कब से	कब तक	वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी	प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने का दिनांक	प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	सत्यनिष्ठा (भर्ती/रिक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये): सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	1995	1-1-95	31-12-95	अति उत्तम	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	1996	1-1-96	31-12-96	उत्कृष्ट	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	1997	1-1-97	31-12-97	उत्कृष्ट	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	1998	1-1-98	31-12-98	अति उत्तम	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	1999	1-1-99	31-12-99	अच्छा	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2000	1-1-00	31-12-00	अति उत्तम	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2001	1-1-01	30-04-01	अति उत्तम	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
		1-5-01	31-12-01	अच्छा	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2002	1-1-02	31-12-02	अति उत्तम	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2003	1-1-03	31-12-03	उत्कृष्ट	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2004	1-1-04	31-12-04	अच्छा	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2005	1-1-05	31-12-05	अच्छा	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2006	1-1-06	31-12-06	प्रतिकूल	3-2-07	18-2-07	अस्वीकृत	अप्रमाणित	3-2-07	18-2-07	अस्वीकृत
	2007	1-1-07	31-12-07	अति उत्तम	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2008	1-1-08	31-12-08	अच्छा	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2009	1-1-09	31-12-09	अच्छा	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2010	1-1-10	31-12-10	संतोषजनक	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2011	1-1-11	31-12-11	अति उत्तम	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
	2012	1-1-12	31-12-12	उत्तम	—	—	—	प्रमाणित	—	—	—
2											
3											

क्र0 सं0	दीर्घ दण्ड- नियम-14(1) (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये): दण्डादेश की संख्या	दण्डादेश का दिनांक	घटना का वर्ष	दण्ड की प्रकृति (पदच्युत/सेवा से हटाना/वेतनमान में अवनति)	दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	लघु दण्ड- नियम-14(2) (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये): दण्डादेश की संख्या	दण्डादेश का दिनांक	घटना का वर्ष	दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड आदि)	दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	पीएफ-04/10	9-4-10	2009	01 वर्ष के लिये न्यूनतम वेतन पर प्रत्यावर्तित	25-6-10	अपील अस्वीकृत	1-द-16/04 2-द-78/07 3-द-35/08 4-द-44/10 5-द-59/11	17-8-04 4-4-07 9-5-08 18-9-10 30-6-11	2003 2006 2008 2010 2011	परिनिन्दा अर्थदण्ड परिनिन्दा परिनिन्दा अर्थदण्ड	28-9-04 — — — —	स्वीकृत दि0 4-11-04 — — — —
2												
3												

क्र0 सं0	वर्तमान निलम्बन: आदेश संख्या/दिनांक	निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	लम्बित आपराधिक प्रकरण: अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद	न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक	न्यायालय का निर्णय व दिनांक	प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच (विभागीय/सीबीसीआईडी/भ्र0नि0सं0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधि0): जांच संगठन का नाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक	अभ्यर्थी के दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोग/प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय/अधिकरण के आदेश: आदेश का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	वाद संख्या एवं आदेश का दिनांक
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	न-39/13 दि0 30-10-13	अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण	234/98 धारा 323/324 आदि थाना-गाजीपुर, लखनऊ	2-2-97	वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-13 नियत है।	विभागीय	अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में	2-10-13	निलम्बन आदेश दि0 30-10-13 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।	मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच रिट याचिका सं0 3670(एस/एस)/2013 दि0 10-11-13
2										
3										

नोटः-

1-उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 Fonts में ही तैयार की जाये।

2-एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।

3-एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+ Enter का प्रयोग किया जाये।

चरित्र पंजिका लिपिक के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
नाम, पद, मुहर

नियुक्ति प्राधिकारी
पुलिस उप महानिरीक्षक
नाम, पद, मुहर